रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032024-252794
CG-DL-E-09032024-252794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945
No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

सा.का.नि.160(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित, धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्;-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** –(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम 2024 है।

   (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में नियम 9.04 के खंड (क) में "हस्तचालित रोक (स्टाप) सिगनल", शब्दों के स्थान पर "हस्तचालित या अर्द्ध-स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल", शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के, नियम 9.06 में,-

(i) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

"इकहरी लाइन पर स्वचालित ब्लाक क्षेत्र में हस्तचालित रोक सिगनल या अर्द्ध-स्वचालित रोक सिगनल को 'आफ' करने की शर्तें-;

(ii) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) निकट (होम) सिगनल – यदि कोई गाड़ी अंतिम स्टेशन से भिन्न किसी अन्य स्टेशन के निकट (होम) सिगनल पर पहुँच रही है, तो वह सिगनल तब तक 'आफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइन न केवल प्रस्थान तक बल्कि उससे आगे भी पर्याप्त दूरी तक साफ नहीं है और इसके अतिरिक्त स्वचालित कार्यप्रणाली के लिए आगे वाले ब्लाक सेक्शन की दिशा विपरीत दिशा में नहीं बदल दी गई है।

(2) अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल – किसी गाड़ी के लिए अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल तब तक 'आफ' नहीं किया जाएगा जब तक यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो गई है और लाइन अगले स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल तक साफ है या जब अगला रोक सिगनल हस्तचालित या अर्द्ध-स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल है, तो उससे आगे पर्याप्त दूरी तक।"

[फा. सं. 2023/संरक्षा(एएंडआर)/19/09]

सीमा कुमार, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)तथा भारत सरकार की पदेन सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जुलाई, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 870 (अ), तारीख 30 नवम्बर, 2023 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024.

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60, read with section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, (hereinafter referred to as said rules), in rule 9.04, in clause (a), for the words "Manual Stop Signals", the words "Manual or Semi-Automatic Stop signals" shall be substituted.;

3. In the said rules, in rule 9.06,-

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Conditions for taking 'off' Manual Stop signal or Semi-Automatic Stop Signal, in Automatic Block territory on single line.-";

(ii) for sub-rules(1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) Home signal- When a train is approaching a Home signal, otherwise than at a terminal station, the signal shall not be taken 'off' unless the line is clear not only upto the Starter but also for an adequate distance beyond it and in addition for automatic working, direction of the block section ahead is not set in opposite.

(2) Last Stop signal- The Last Stop signal shall not be taken 'OFF' for a train unless the direction of traffic has been established and the line is clear up to the next Automatic Stop signal, or when the next Stop signal is a Manual or Semi Automatic Stop signal for an adequate distance beyond it."

[F. No. 2023/Safety(A&R)/19/09]

SEEMA KUMAR, Member (O & BD) and Ex-Officio Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and last amended *vide* number G.S.R. 870(E), dated the 30th November, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.09 15:20:22 +05'30'